निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं का विस्तार (चरण-II) संबंधी नीति

नई दिल्ली

दिनांक : 24 सितम्बर, 2008

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं का विस्तार (चरण-II) संबंधी नीति तैयार की है। जैसाकि चरण-I नीति में था, चरण-II का उद्देश्य, स्थानीय विषयवस्तु और संबद्धता वाले कार्यक्रम उपलब्ध करवाने वाले रेडियो केंद्रों का प्रचालन करके, अभिग्रहण और उत्पादन (सृजन) में तदरूपता की गुणवत्ता में सुधार करके, स्थानीय प्रतिभा की भागीदारी को बढ़ावा देकर और रोजगार का सृजन करके आकाशवाणी के प्रयासों का अनुपूरण और संपूरण करने की दिशा में निजी चैनलों को आकर्षित करना होगा।

इस नीति की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी जाती हैं :

1. अनुमति देने की प्रक्रिया :

1.1 अनुमति, बोलीकर्ताओं (बंद निविदा प्रणाली) द्वारा उद्धृत एकमुश्त प्रवेश शुल्क (ओ टी ई एफ) के आधार पर दी जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय उचित समय पर अलग से विस्तृत निविदा सूचना जारी करेगा ताकि इच्छुक पार्टियां इसमें भाग ले सकें।

2. अर्हता प्रक्रिया

2.1 चरण-2 के अंतर्गत नए प्रतिभागियों के संबंध में अनुमति देने की प्रक्रिया में दो दौर होंगे। पहला दौर पूर्व-अर्हता के लिए होगा तथा नीचे दी गई मद संख्या 3 में दिए गए <u>निर्धारित अर्हता मानदंड</u> के अनुसार पात्र होने वाले आवेदक मात्र ही विभिन्न शहरों में विशिष्ट चैनलों के लिए वित्तीय बोली लगाने के वास्ते अगले दौर में पहुंचेंगे।

2.2 ऐसे लाइसेंसधारकों, जोकि उनके स्वयं के द्वारा पहले से ही प्रचालनीकृत चैनलों के संबंध में स्वत: अंतरण के लिए अर्ह हैं, के साथ-साथ चरण-I के ऐसे प्रतिभागी जिन्होंने चरण-2 के लिए उनके नाम पर विचार किए जाने का विकल्प चुना है, उनके द्वारा निर्धारित अर्हता मानदंड को पूरा करने के अधीन चरण-2 के अंतर्गत नए सिरे से निविदा कार्रवाई के संबंध में पूर्व-अर्हता दौर के लिए विचार किए जाने के वास्ते अर्ह होंगे।

3. अर्हता मानदंड :

3.1 एफएम रेडियो चैनलों के लिए बोली लगाने और अनुमति प्राप्त करने के लिए केवल वे कंपनियां ही पात्र होंगी जोकि भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। इन कंपनियों पर निम्नलिखित अनर्हताएं लागू होंगी :

- भारत में नहीं रजिस्टर्ड होना।
- किसी अपराध में दोषी सिद्ध व्यक्तियों का नियंत्रण होना।
- किसी आवेदक कंपनी की सहायक कंपनी होना।
- एक ही प्रबंध तंत्र वाली कंपनियां।
- एक ही समूह की अथवा परस्पर संबंधित कंपनियां।
- धार्मिक निकाय अथवा उनके नियंत्रण/संबद्धता वाली कंपनियां।
- राजनीतिक निकाय अथवा उनके नियंत्रण/संबद्धता वाली कंपनियां।
- विज्ञापन एजेंसियां अथवा उनके नियंत्रण/संबद्धता वाली कंपनियां।
- न्यास, सोसायटी, गैर-लाभकारी संगठन नियंत्रित/संबद्धता वाली कंपनियां।

3.2 वित्तीय क्षमता :

3.2.1 साप्ताहिक अंतरालों पर तारीखें निर्धारित करते हुए देश के संबंधित चार क्षेत्रों के लिए बोली लगाने का कार्य दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। चूंकि ये कंपनियां चैनलों के लिए बोली लगाने में भाग लेने के लिए अर्ह होंगी इसलिए उनकी वित्तीय क्षमता का आकलन निम्नलिखित संकेतात्मक मानदंड के आधार पर किया जाएगा :

- एक चैनल के लिए सभी क्षेत्रों में प्रति केंद्र अपेक्षित न्यूनतम निवल मूल्य :
  - डी श्रेणी केंद्र : 50 लाख रुपए
  - सी श्रेणी केंद्र : 1 करोड़ रुपए
  - बी श्रेणी केंद्र : 2 करोड़ रुपए
  - ए अथवा ए+ श्रेणी केंद्र : 3 करोड़ रुपए
  - सभी केंद्र : 10 करोड़ रुपए

- तथापि, प्रत्येक कंपनी को विभिन्न श्रेणियों के शहरों में ऐसे चैनलों की अधिकतम संख्या की लिखित रूप से जानकारी देनी होगी जिनके लिए वह बोली लगाना चाहती है तदनुसार इसकी अर्हता निर्धारित की जाएगी। यदि आवेदक कंपनी इन ब्यौरों की जानकारी नहीं देना चाहती है तो आवेदक कंपनी का न्यूनतम निवल मूल्य 10 करोड़ रुपए होना चाहिए।

3.2.2 वित्तीय क्षमता के दावे के समर्थन में आवेदक कंपनी से पिछले तीन वर्ष की वार्षिक रिपोर्टें और लेखापरीक्षित लेखे, अथवा किसी नव समावेशित कंपनी के मामले में समावेशन की तारीख से 31 मार्च, 2005 तक के किसी सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित तुलनपत्र प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं।

3.3 प्रबंधकीय क्षमता :

आवेदक कंपनी से निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा :

- व्यावसायिक और प्रबंधकीय क्षमता के प्रमाण सहित प्रबंधकों के नाम।
- दावे के समर्थन के लिए दस्तावेजी प्रमाणों सहित निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों/संगठनों, ऐसी कंपनियों/संगठनों के ब्यौरों सहित, में धारित निदेशक अथवा अन्य कार्यकारी पद।
- मुख्य कार्यकारियों अर्थात वित्त, मार्केटिंग और रचनात्मक (क्रिएटिव) विभागों के प्रमुखों, यदि कोई पद पर हो, के नाम साथ ही साथ उनकी व्यावसायिक अर्हता और प्रबंधकीय क्षमता का प्रमाण।

3.4 आवेदक कंपनी को नीचे पैरा 8.1 में निर्धारित किए गए अनुसार विदेशी निवेश तथा अन्य संबंधित निर्धारणों के अनुरूप होना होगा।

4. अनुमति देने संबंधी प्रक्रिया :

4.1 **प्रत्येक चैनल के लिए अलग से वित्तीय बोली** : प्रत्येक पूर्व-अर्ह आवेदक कंपनी प्रत्येक चैनल के लिए ओ टी ई एफ के भुगतान के लिए अलग से वित्तीय बोली के माध्यम से प्रत्येक शहर में केवल एक चैनल के आबंटन के लिए आवेदन करेगी।

4.2 **निविदा जमा** : इस प्रकार की प्रत्येक वित्तीय बोली के साथ वित्तीय बोली के 50 प्रतिशत के बराबर राशि का डिमांड ड्राफ्ट तथा वित्तीय बोली के 50 प्रतिशत के बराबर राशि की एक बिना शर्त और अपरिवर्तनीय निष्पादन बैंक गारंटी (पी बी जी) होनी चाहिए जो कि बोली प्रक्रिया की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध हो।

4.3 **भिन्न कालिक निविदा प्रक्रिया** : मुहरबंद निविदाओं को जमा करने और खोलने का स्थान, तारीख और समय क्षेत्र-वार भिन्न-भिन्न होगा।

4.4 **आरक्षित ओ टी ई एफ** : प्रत्येक शहर के संबंध में आरक्षित ओ टी ई एफ की सीमा उस शहर में उच्चतम वैध बोली का 25 प्रतिशत होगी। आरक्षित सीमा से कम सभी बोलियों को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

4.5 **प्रतीक्षा सूची** : प्रत्येक शहर में चरण-2 में निजी एजेंसियों के लिए उपलब्ध चैनलों को प्राप्त वैध वित्तीय बोलियों के गिरते हुए क्रम के अनुसार आबंटित किया जाएगा। वैध बोलियों की संख्या आवृत्तियों की उपलब्ध संख्या से अधिक होने के मामले में ऐसे असफल वैध बोलीकर्ताओं जोकि आरक्षित ओ टी ई एफ सीमा से ऊपर हैं और जो अपनी वित्तीय बोली के 50 प्रतिशत के बराबर राशि के लिए अपनी पी बी जी को जमा रखने के इच्छुक हैं उन्हें दो वर्ष की अवधि के लिए उनकी वित्तीय बोलियों के गिरते हुए क्रम के अनुसार प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा।

4.6 **बोली की शेष राशि का भुगतान** : प्रत्येक सफल बोलीकर्ता को सफल बोलीकर्ता घोषित किए जाने से सात दिन की अवधि के भीतर एक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अपनी वित्तीय बोली के शेष 50 प्रतिशत हिस्से को जमा करने को कहा जाएगा।

4.7 **ब्लैकलिस्टिंग और जब्ती** : ऐसे किसी भी सफल बोलीकर्ता, जो बोली की राशि के शेष 50 प्रतिशत हिस्से को निर्धारित अवधि के भीतर जमा करने में असफल रहता है, को पांच वर्ष की अवधि के लिए देश में कहीं भी किसी नई बोली प्रक्रियों में भाग लेने के लिए तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बोली की राशि के 50 प्रतिशत के लिए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किए गए मूल भुगतान को तत्काल जब्त कर लिया जाएगा।

4.8 **आशय पत्र :** बोली की राशि का शेष 50 प्रतिशत निर्धारित समय के भीतर जमा करने तथा अर्हता संबंधी अन्य शर्तों को पूरा करने पर सफल बोलीकर्ता को एक आशयपत्र (एल ओ आई) जारी किया जाएगा ताकि कंपनी आवृत्ति आबंटन, एस ए सी एफ ए स्वीकृति, वित्तीय बंदी प्रप्त कर सके और सभी प्रमुख कार्यकारियों को नियुक्त कर सके, दूरदर्शन/आकाशवाणी/बेसिल के साथ करार कर सके और भूमि/इमारत के पट्टे के किराए, साझी प्रसारण अवसंरचना इत्यदि के संबंध में अपेक्षित राशि जमा कर सके और आशय पत्र जारी होने की तारीख से नौ महीने की अवधि के भीतर "अनुमति मंजूरी करार" पर हस्ताक्षर करने संबंधी अर्हता की अपेक्षित शर्तों को पूरा कर सके।

4.9 किसी भी आशय पत्र धारक के अनुमति मंजूरी करार संबंधी अर्हता शर्तों को पूरा करने में असफल होने अथवा आशय पत्र जारी होने की तारीख से नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर अनुमति मंजूरी करार पर हस्ताक्षर करने में असफल रहने के मामले में बोली की पूरी जमा राशि बिना किसी सूचना के जब्त कर ली जाएगी तथा आशय पत्र और आवृत्ति का आबंटन, यदि कोई हो, रद्द हो जाएगा। इस प्रकार से जारी की गई आवृत्ति को प्रतीक्षा सूची में से अगले सर्वोच्च बोलीकर्ता को आबंटित कर दिया जाएगा।

4.10 **अनुमति मंजूरी करार :** अर्हता की सभी अपेक्षित शर्तों को पूरा करने और वार्षिक शुल्क (आरक्षित ओ टी ई एफ का 10 प्रतिशत) के बराबर राशि संबंधी पीबीजी प्रस्तुत करने पर आशय पत्र धारक तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय निर्धारित प्रपत्र में अनुमति मंजूरी करार पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके अतिरिक्त सूचना और प्रसारण मंत्रालय करार पर हस्ताक्षर करने के पश्चात एक अनुमति जारी करेगा ताकि अनुमति धारक अनुमति मंजूरी करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर रेडियो केंद्र की संस्थापना कर सके, बेतार प्रचालन लाइसेंस (डब्ल्यू ओ एल) प्राप्त कर सके और चैनल का प्रचालन प्रारंभ कर सके। अनुमति की अवधि की गणना, प्रचालनीकरण की तारीख अथवा अनुमति मंजूरी करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से एक वर्ष, जो भी पहले हो, से की जाएगी।

4.11 चैनल को निर्धारित अवधि के भीतर प्रारंभ करने में अनुमति धारक की असफलता के मामले में, अनुमति धारक को वार्षिक शुल्क का भुगतान करना होगा जोकि अनुमति धारक द्वारा प्रस्तुत पीबीजी में से एकमुश्त आधार पर वसूल कर लिया जाएगा और अनुमति धारक से अगले वर्ष का शुल्क कवर करने के लिए एक नई पीबीजी प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। अनुमति धारक के चैनल को अनुमति मंजूरी करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से अठारह महीने की अवधि के भीतर चालू करने में असफल रहने अथवा पीबीजी को उपयोग करने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर अगले वर्ष के वार्षिक शुल्क के लिए पीबीजी प्रस्तुत करने में असफल रहने, जो भी पहले हो, के मामले में अनुमति मंजूरी करार रद्द कर दिया जाएगा तथा अनुमति धारक को अनुमति के रद्द होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए उस शहर के संबंध में बोली लगाने के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

5. शुल्क और अवधि :

5.1 वार्षिक शुल्क वर्ष के लिए प्राप्त सकल राजस्व के 4 प्रतिशत की दर अथवा संबंधित शहर के लिए आरक्षित ओ टी ई एफ सीमा के 10 प्रतिशत की दर, जो भी अधिक हो, से प्रभारित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए सकल राजस्व का तात्पर्य कर को घटाए बिना सकल राजस्व होगा।

5.2 अनुमति मंजूरी करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से पहले वर्ष को प्रारंभिक अवधि माना जाएगा। पहले वर्ष का शुल्क चैनल के प्रारंभ होने की तारीख अथवा अनुमति मंजूरी करार पर हस्ताक्षर की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति, जो भी पहले हो, से देय हो जाएगा। अनुमति धारक प्रारंभ में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक आरक्षित ओ टी ई एफ के फार्मूले के आधार पर तिमाही किस्तों का अग्रिम भुगतान करेगा। सकल राजस्व शेयर फार्मूले के आधार पर वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम शुल्क का निर्धारण हो जाने पर अनुमति धारक ऐसे निर्धारण की तारीख से एक माह की अवधि, जो कि किसी भी मामले में अगले वर्ष 30 सितम्बर से आगे न हो, के भीतर शेष राशि का एकमुश्त भुगतान करेगा।

5.3 अनुमति धारक दूसरे वर्ष से और उससे आगे प्रत्येक तिमाही के पहले पखवाड़े के भीतर, और अंतिम वार्षिक शुल्क के शेष देय का प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक पहले वर्ष के सकल राजस्व शेयर के 4 प्रतिशत लाइसेंस शुल्क का अग्रिम भुगतान करेगा।

5.4 सकल राजस्व की गणना बिलिंग दरों के आधार पर की जाएगी जिसमें विज्ञापनदाताओं को दी जाने वाली छूट, यदि कोई हो, और विज्ञापन एजेंसियों को दिया जाने वाला कमीशन शामिल है। विनिमय आधारित विज्ञापन अनुबंधों (संविदाओं) को भी किसी भी लाइसेंसधारक के सकल राजस्व में उनकी अपनी संबंधित बिलिंग दरों के आधार पर शामिल किया जाएगा।

5.5 प्रत्येक अनुमतिधारक को आरक्षित ओ टी ई एफ फार्मूले के आधार पर गणना किए गए वार्षिक शुल्क की राशि के संबंध में बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी और इसकी वैधता को अनुमति के समग्र प्रचालन के दौरान बनाए रखना होगा। निर्धारित वार्षिक शुल्क के भुगतान में कोई चूक होने पर इसे बैंक गारंटी से वसूल लिया जाएगा और यदि देय राशि अधिक है तो अनुमति धारक से शेष राशि को भी कवर करने के लिए अतिरिक्त बैंक गारंटियां प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

5.6 प्रत्येक अनुमतिधारक प्रत्येक चैनल के लिए अलग से वित्तीय लेखे का अनुरक्षण करेगा, जिसकी सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी। अनुमति धारक द्वारा ऐसी अन्य कंपनियां जिनका स्वामित्व अनुमति धारक कंपनी के मालिकों के पास हो, को/से वस्तुएं अथवा सेवाएं उपलब्ध करवाने अथवा प्राप्त करने के मामले में ऐसे सभी लेन-देनों का मूल्य निर्धारण सामान्य व्यावसायिक दरों पर होगा और सकल राजस्व की गणना करने के लिए उन्हें अनुमतिधारक के लाभ एवं हानि लेखे में शामिल किया जाएगा।

5.7 सरकार के पास किसी भी अनुमतिधारक के लेखा को अपने विवेकानुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा किन्हीं अन्य व्यावसायिक लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षित करवाने का अधिकार है। सनदी लेखाकार और सरकार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा निर्धारित किए गए वित्तीय परिणामों के बीच अंतर होने के मामले में अनुमतिधारक के सकल राजस्व का निर्धारण करने की सीमा तक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए लेखापरीक्षक के दृष्टिकोण मान्य होंगे।

5.8 चरण-2 के अंतर्गत प्रत्येक अनुमति, चैनल के प्रचालनीकरण की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी। इसके विस्तार का कोई प्रावधान नहीं होगा और इस अवधि की समाप्ति पर यह स्वत: समाप्त हो जाएगी तथा अनुमतिधारक के पास अंतिम तारीख के बाद चैनल का प्रचालन जारी रखने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। सरकार उपयुक्त समय पर नई अनुमतियों को जारी करने संबंधी प्रक्रिया निर्धारित करेगी तथा इसके पश्चात चैनलों के आबंटन में अनुमतिधारकों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।

6. एक शहर में अनेक अनुमतियां नहीं मिलेंगी :

6.1 प्रत्येक आवेदक कंपनी को एक शहर में केवल एक ही चैनल चलाने की अनुमति होगी बशर्ते कि उस कंपनी को आबंटित चैनलों की कुल संख्या देश में आबंटित सभी चैनलों की 15 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर हो।

6.2 कोई भी अनुमतिधारक किसी दीर्घकालिक उत्पादन अथवा अधिप्राप्ति व्यवस्था के माध्यम से अपनी कुल विषयवस्तु के 50 प्रतिशत से अधिक को आउटसोर्स नहीं करेगा जिसमें से इसकी कुल विषयवस्तु के 25 प्रतिशत से अधिक कार्य किसी एक विषयवस्तु प्रदाता से आउटसोर्स नहीं करवाया जाना चाहिए।

6.3 कोई भी अनुमतिधारक 50 प्रतिशत से अधिक प्रसारण उपस्कर दीर्घकालिक आधार पर किराए अथवा पट्टे पर नहीं लेगा।

6.4 कोई भी अनुमतिधारक मान्यताप्राप्त वित्तीय संस्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य अनुमतिधारक अथवा कंपनियों के साथ उधार लेने अथवा देने का समझौता नहीं करेगा जिससे कि इसका अधिप्राप्ति अथवा विषयवस्तु प्रसारण संबंधी प्रबंधन या सृजनात्मक विवेक बाधित होता हो।

7. किसी कंपनी द्वारा धारित की जा सकने वाली आवृत्तियों की कुल संख्या :

7.1 किसी भी कंपनी को देश में आबंटित सभी चैनलों के 15 प्रतिशत से अधिक चैनलों की धारिता की अनुमति नहीं होगी। निर्धारित चैनलों से अधिक चैनल आबंटित किए जाने के मामले में कंपनी के

पास अपने विवेक के आधार पर यह निर्णय करने का अधिकार होगा कि वह किस चैनल को छोड़ना पसंद करेगी और सरकार इन चैनलों के संबंध में इनकी पूरी की पूरी ओ टी ई एफ वापस करेगी।

8. विदेशी निवेश :

8.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथापरिभाषित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) सहित ओसीबी/एन आर आई/पी आई ओ इत्यादि, एफ आई आई द्वारा पोर्टफोलियो निवेश (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर) और उधार, यदि इनमें परिवर्तन का विकल्प है, के साथ कुल विदेशी निवेश किसी रेडियो चैनल के संबंध में अनुमतिधारक कंपनी की प्रदत्त इक्विटी के अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमत है :

- कोई भारतीय व्यक्ति अथवा कंपनी जो बैंकों और ऋणदाता अन्य संस्थानों द्वारा धारित इक्विटी को छोड़कर प्रदत्त इक्विटी के 50 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व रखती है।
- अधिकांश शेयरधारक आवेदक कंपनी पर प्रबंधन नियंत्रण रखते हैं।
- निदेशक मंडल (बोर्ड) में केवल निवासी भारतीय ही निदेशकों के पद पर हैं।
- आवेदक कंपनी के सभी प्रमुख कार्यकारी अधिकारी निवासी भारतीय है।

8.2 यदि अनुमति अवधि के प्रचालन के दौरान एफ डी आई/एफ आई आई संबंधी सरकारी नीति में संशोधन होता है तो अनुमति धारकों को ऐसी अधिसूचना की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप होने की छूट दी जाएगी जिसके न होने पर इसे अनुमति मंजूरी करार का पालन न करने वाला माना जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

8.3 विदेशी निवेश सहित अथवा रहित किसी भी अनुमतिधारक को, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की लिखित अनुमति, जोकि नए शेयरधारक द्वारा पात्रता के सभी निर्धारित मानदंड पूरा करने की शर्त के अधीन अनुमति के प्रचालनीकरण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए नहीं दी जाएगी, के बिना अधिसंख्य शेयरधारकों/प्रमोटरों के शेयरों के अंतरण के माध्यम से कंपनी की स्वामित्व प्रणाली में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। तथापि, सहायक कंपनी बनाने, एक ही समूह की कंपनियों के एकीकरण, किसी कंपनी को छोटी-छोटी कंपनियों में विभाजित करने इत्यादि के प्रयोजन के लिए शेयरों के अंतरण संबंधी अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन पांच वर्ष की अवधि के भीतर अनुमति दी जा सकती है :

(क) अधिसंख्य शेयरधारक/प्रमोटर, अधिसंख्य शेयरधारक/प्रमोटर बने रहेंगे और उनके पास कुल शेयरों के कम से कम 51 प्रतिशत शेयर होने चाहिए।

(ख) नई कारपोरेट संस्थाएं अपने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) घटक को निर्धारित सीमा के भीतर रखेंगी और निविदा दस्तावेज और अनुमति मंजूरी करार (जी ओ पी ए) के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगी।

(ग) नई कारपोरेट संस्थाओं का न्यूनतम निर्धारित निवल मूल्य होना चाहिए और उन्हें निविदा दस्तावेज के निबंधन और शर्तों तथा करार के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

(घ) नई कंपनी को मूल कंपनी के लाइसेंस की शेष अवधि के लिए सरकार के साथ समान निबंधन और शर्तों पर नए करार पर हस्ताक्षर करने चाहिए।

(ङ) शेयरों का इस प्रकार का अंतरण प्रचालनीकरण की तारीख से पहले पांच वर्ष की अवधि के दौरान केवल एक बार अनुमत्य होगा।

(च) किसी भी नई कर व्यवस्था को सहायक कंपनियों के सृजन, एफएम प्रसारण कंपनियों के विलय/छोटी कंपनियों में विखंडन, एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोत्साहन देने के लिए डिजाइन नहीं किया जाएगा।

(छ) इस प्रकार के विलय/छोटी कंपनियों में विखंडन, एकीकरण के कारण सामने आने वाले कर संबंधी निहितार्थ वाले किसी भी मामले को समय-समय पर लागू आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित किया जाएगा।

(ज) नई कंपनियों/सहायक कंपनियों की स्थापना उनके विलय/छोटी कंपनियों में विखंडन और/अथवा मौजूदा कंपनियों के उपक्रमों, अथवा उनके किसी हिस्से के विनिवेश इत्यादि सहित लाइसेंसधारक कंपनियों द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया/कार्रवाई कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार की जानी आवश्यक है। आवेदक इस प्रकार की किसी अपेक्षा को अपने संगम अनुच्छेद अथवा किसी प्रकार के माध्यम से कम नहीं करेगा।

9. क्रॉस मीडिया स्वामित्व :

9.1 यदि अनुमति अवधि के प्रचलन के दौरान क्रॉस मीडिया स्वामित्व संबंधी सरकारी नीति की घोषणा होती है तो अनुमति धारक को ऐसी अधिसूचना की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर

संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप होने की छूट दी जाएगी जिसके न होने पर इसे अनुमति मंजूरी करार का पालन न करने वाला माना जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तथापि, यदि अनुमति धारक वास्तविक कारणों से क्रॉस मीडिया प्रतिबंधों का अनुपालन करने की स्थिति में नहीं है तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बात से संतुष्ट है तो अनुमति धारक को एक माह का एग्जिट नोटिस प्रस्तुत करने का विकल्प दिया जाएगा और शेष अवधि के लिए प्रवेश शुल्क, जिसकी गणना समानुपातिक आधार पर की जानी है, अनुमतिधारक को वापस कर दिया जाएगा।

10. समाचार और सामयिक घटनाक्रम संबंधी कार्यक्रम :

10.1 इस नीति के अंतर्गत समाचार और सामयिक घटनाक्रम से संबंधित कोई भी कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति नहीं है।

11. आचार-संहिता :

11.1 प्रत्येक अनुमतिधारक समय-समय पर संशोधित आकाशवाणी कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का अनुसरण करेगा।

11.2 सरकार द्वारा प्रसारण विनियामक प्राधिकरण, इसका नाम चाहे कुछ भी हो, के गठन की घोषणा और विषयवस्तु विनियमनों को संशोधित किए जाने की स्थिति में अनुमतिधारक को संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाना पड़ेगा।

11.3 कोई भी अनुमतिधारक किसी अन्य अनुमतिधारक की तुलना में व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपने चैनल की पहचान के लिए ब्रांड के नाम अथवा स्वामी के नाम अथवा कारपोरेट समूह के नाम का प्रयोग नहीं करेगा।

11.4 सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास जनहित अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में एक या एक से अधिक अनुमतिधारकों की अनुमति समाप्त करने का अधिकार होगा ताकि उनके चैनलों के दुरूपयोग को रोका जा सके और अनुमतिधारक को सरकार के निर्देशों का तत्काल अनुपालन करना होगा।

12. प्राप्त लाइसेंसों का प्रचालन न करने के लिए दंड :

12.1 प्रत्येक अनुमतिधारक को अनुमति मंजूरी करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 18 माह के भीतर चैनल को प्रचालनीकृत करना होगा, ऐसा न कर पाने पर अनुमति रद्द कर दी जाएगी और अनुमतिधारक को उसी शहर में किसी अन्य चैनल के आबंटन के संबंध में ऐसे रद्दीकरण की तारीख से

पांच वर्ष की अवधि के लिए निषेधित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से छोड़ी गई आवृत्ति को किसी नए सफल बोलीकर्ता को आबंटित कर दिया जाएगा।

12.2 सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसी चैनल के छह माह की अवधि के लिए बंद रहने, उसका कारण चाहे कुछ भी हो, की स्थिति में भी अनुमति को रद्द कर सकता है।

18. नेटवर्किंग :

18.1 किसी भी कंपनी को अपने चैनलों को केवल सी और डी श्रेणियों में नेटवर्क करने की अनुमति होगी।

18.2 किन्हीं भी दो कंपनियों को किसी भी श्रेणी के शहरों में अपने किसी भी चैनल को नेटवर्क करने की अनुमति नहीं होगी।

14. तकनीकी मानदंड :

प्रत्येक श्रेणी के शहर के लिए तकनीकी मानदंडों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

15. आवृत्तियों की संख्या :

15.1 भारतीय निजी कंपनियों द्वारा बोली लगाए जाने के लिए पूरे देश के 90 शहरों में कुल 336 चैनल उपलब्ध करवाए जाएंगे जिनका ब्यौरा **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

16. सह-अवस्थिति :

16.1 चरण-II के सभी प्रचालनकर्ताओं के लिए अलग से निर्धारित किए जाने वाले निबंधन और शर्तों के आधार पर सभी 90 शहरों में प्रसारण सुविधाएं सह-अवस्थित करना अनिवार्य कर दिया गया है। 81 शहरों में ये सुविधाएं आकाशवाणी/दूरदर्शन की मौजूदा टावरों पर सह-अवस्थित होंगी जबकि शेष 9 शहरों में मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रसारण इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) के माध्यम से नई टावरों का निर्माण करवाया जाएगा। ऐसे शहरों, जहां आकाशवाणी/दूरदर्शन टावरों का उपयोग सह-अवस्थिति के लिए किया जाएगा तथा जहां नई टावरों का निर्माण किया जाएगा, का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** पर उपलब्ध है।

16.2 बेसिल द्वारा यथासमय सह-अवस्थिति सुविधाओं का निर्माण किए जाने तक इन 9 शहरों के सफल बोलीकर्ताओं को दो वर्ष की अवधि के लिए व्यक्तिगत आधार पर अपने चैनलों के प्रचालन की

अनुमति होगी जिसकी समाप्ति पर वे अपने प्रचालनों को नई सुविधाओं पर अंतरित कर देंगे। प्रत्येक सफल बोलीकर्ता को अपना निजी चैनल चलाने की अनुमति इसके द्वारा बेसिल के साथ करार करने और साझी अवसंरचना में अपने हिस्से का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात ही दी जाएगी। मुंबई के मामले में मौजूदा प्रचालकों को भी चरण 2 में अंतरण की अनुमति उनके द्वारा बेसिल के साथ करार करने और सह-अवस्थिति के लिए साझी अवसंरचना में इनके हिस्से के संबंध में अपेक्षित भुगतान करने के पश्चात ही दी जाएगी।

16.3 साझी प्रसारण अवसंरचना उपलब्ध करवाने के लिए बेसिल प्रणाली समाकलक के रूप में कार्य करेगा और आशयपत्र धारक/अनुमतिधारकों को निर्धारित निबंधनों और शर्तों पर एस ए सी एफ ए स्वीकृति और आवृत्ति आबंटन प्राप्त करने में सहायता करेगा। अनुमति की मंजूरी के पश्चात प्रत्येक अनुमतिधारक बेतार प्रचालन लाइसेंस प्राप्त करेगा जिसके लिए डब्ल्यूपीसी, डीओटी, सी एंड आई टी मंत्रालय से प्राथमिकता स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया जाएगा।

17. दंड :

17.1 अनुमतिधारक द्वारा अपनी सुविधाओं का उपयोग किसी आपत्तिजनक, अप्राधिकृत विषयवस्तु, संदेशों और संप्रेषण, जो कि जनहित अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप न हो, का प्रसारण करने की अनुमति देने अथवा उपर्युक्त पैरा 11.4 के निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहने पर दी गई स्वीकृति रद्द कर दी जाएगी और अनुमतिधारक को लागू अन्य कानूनों के अंतर्गत दंडित किए जाने के अतिरिक्त भविष्य में ऐसी कोई अनुमति प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

17.2 उपर्युक्त पैरा 17.1 में दिए गए प्रावधानों के अधीन किसी अनुमतिधारक द्वारा अनुमति के निबंधनों और शर्तों में से किसी अथवा एफएम रेडियो नीति के किन्हीं अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास निम्नलिखित दंड लगाने का अधिकार होगा :

17.2.1 पहली बार उल्लंघन करने के मामले में 30 दिन की अवधि के लिए अनुमति का निलम्बन और प्रसारण पर रोक।

17.2.2 दूसरी बार उल्लंघन के मामले में 90 दिन की अवधि के लिए अनुमति का निलंबन और प्रसारण पर रोक।

17.2.3 तीसरी बार उल्लंघन के मामले में अनुमति की शेष अवधि के लिए अनुमति रद्द करना और प्रसारण पर रोक।

17.2.4 लगाए गए दंडों का निर्धारित समय सीमा में अनुमति धारक द्वारा अनुपालन करने में असफल रहने के मामले में अनुमति की शेष अवधि के लिए अनुमति रद्द करना और प्रसारण पर रोक तथा भविष्य में पांच वर्ष की अवधि के लिए कोई नई अनुमति प्राप्त करने के लिए अयोग्यता।

17.3 पैरा 11.4 अथवा 17.2 में उल्लेख किए गए अनुसार अनुमति के निलंबन के मामले में अनुमतिधारक को शुल्क के भुगतान सहित अनुमति मंजूरी करार के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करना जारी रखना होगा।

17.4 अनुमति के रद्द होने के मामले में अनुमतिधारक को एकमुश्त अप्रतिदेय प्रवेश शुल्क वापस नहीं मिलेगा। ऊपर संदर्भित किसी भी दंड के लगाए जाने के मामले में सरकार चैनल के प्रचालनीकरण के संबंध में किए गए किसी भी निवेश, जो कि पूंजी और प्रचालन व्यय तक ही सीमित नहीं है, के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी।

17.5 ऊपर उल्लेख किए गए सभी दंड अनुमतिधारक को 15 दिन की अवधि के भीतर उल्लंघन में सुधार किए जाने संबंधी लिखित नोटिस दिए जाने के पश्चात ही लागू किए जाएंगे, जिसे पूरा न कर पाने की स्थिति में वह प्रस्तावित दंड का भागी होगा।

18. विवाद समाधान मंत्र :

18.1 ऐसे मामले, जिसके संबंध में अनुमति मंजूरी करार के अंतर्गत विशेष रूप से निर्णय उपलब्ध करवाया गया है, के अतिरिक्त अनुमति मंजूरी करार के अंतर्गत या उससे जुड़े किसी प्रश्न, विवाद अथवा मतभेद को सचिव, विधि कार्य विभाग अथवा उसके नामिती वाले एकमात्र माध्यस्थम को भेजा जाएगा।

18.2 ऐसी किसी नियुक्ति में इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी कि मध्यस्थ एक सरकारी सेवक है। मध्यस्थ का पंचाट अंतिम तथा पक्षों पर बाध्यकारी होगा। ऐसे मध्यस्थ, जिसको मामला मूल रूप से संदर्भित किया था, के स्थानांतरण अथवा अपना कार्यालय छोड़ने, अथवा किसी भी अन्य कारण, चाहे वह कुछ भी हो, के चलते कार्रवाई करने में असमर्थ होने की स्थिति में सचिव, विधि कार्य विभाग द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाएगा।

18.3 माध्यस्थम और संराधन अधिनियम, 1996, उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और उनमें किया गया कोई संशोधन, जोकि उस समय लागू हो, उपर्युक्तानुसार माध्यस्थम कार्यवाही पर लागू माना

जाएगा। मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली अथवा मध्यस्थ द्वारा निर्णीत कोई अन्य स्थान होगा। मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में की जाएगी।

18.4 उपर्युक्त किसी और सभी संदर्भों के संबंध में पंचाट के लिए कार्यवाहियों में लागतों, ब्याज और आनुषंगिक व्यय का आकलन मध्यस्थ के विवेकाधीन होगा।

चरण 2 में अंतरण :

1. चरण-1 के ऐसे लाइसेंसधारकों, जिन्होंने अपने चैनलों को वास्तव में प्रचालनीकृत किया है, को चरण 2 नीति अवधि में अंतरण का विकल्प दिया जाएगा। उन्हें अंतरण के निबंधनों और शर्तों के अनुसार चरण 2 नीति अवधि में स्वत: अंतरण के लिए निर्धारित तारीख तक अपना प्रारंभिक विकल्प देना होगा अथवा वे चरण-1 के तहत अपना कार्य जारी रख सकते हैं अथवा एक माह की नोटिस पर अपने लाइसेंस वापस (अभ्यर्पित) कर सकते हैं।

2. चैनलों के अभ्यर्पण के मामले में सरकार अभ्यर्पित किए गए चैनलों को चरण-2 नीति अवधि के अंतर्गत आबंटन के लिए शामिल कर सकती है।

3. स्वत: अंतरण के लिए चरण 1 के केवल ऐसे लाइसेंस धारकों पर ही विचार किया जाएगा जिन्होंने वास्तव में अपने चैनलों का प्रचालन किया है बशर्ते कि उन्होंने देय तारीख (सह-अवस्थिति की समस्याओं के कारण दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के मामले में विलंब के संबंध में विशेष माफी की अनुमति के पश्चात) कट-आफ तारीख तक अपने सभी देयों का भुगतान कर दिया है और चरण 2 को अंतरण की तारीख तक लाइसेंस संबंधी किन्हीं अन्य शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है।

4. चरण 2 में स्वत: अंतरण के लिए कट-आफ तारीख 1 अप्रैल, 2005 होगी। चरण 1 के प्रचालनीकृत लाइसेंस धारकों द्वारा कट-आफ तारीख तक देय राशि से अधिक किए गए सभी भुगतान जमा कर लिए जाएंगे और इन्हें चरण 2 के लिए उनके एकमुश्त प्रवेश शुल्क (ओ टी ई एफ) के संबंध में समायोजित किया जाएगा।

5. चरण 1 का ऐसा प्रत्येक प्रचालनीकृत लाइसेंसधारक, जोकि स्वत: प्रचालन के लिए अर्ह है, उस शहर में चरण 2 के अंतर्गत प्राप्त सभी सफल बोलियों के औसत के बराबर ओ टी ई एफ राशि का भुगतान करेगा। उस शहर में कोई भी सफल बोली न होने के मामले में ऐसी ओ टी ई एफ राशि उस क्षेत्र में शहरों की उस श्रेणी में प्राप्त सभी सफल बोलियों के औसत के बराबर होगी। किसी भी मेट्रो शहर

में कोई सफल बोली न होने के मामले में ऐसी ओ टी ई एफ राशि सभी चार मेट्रो शहरों में प्राप्त सभी सफल बोलियों के औसत के बराबर होगी।

6. चरण 2 में स्वत: अंतरण के अपने विकल्प का प्रयोग करने और निर्धारित अवधि के भीतर ओ टी ई एफ का भुगतान करने पर चरण 1 के प्रत्येक अर्ह प्रचालनीकृत लाइसेंसधारक को उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर नई अनुमति जारी की जाएगी जोकि चरण 2 के सफल बोलीकर्ताओं पर लागू है।

7. यदि चरण 1 का ऐसा कोई भी प्रचालनीकृत लाइसेंसधारक, जोकि चरण 2 में स्वत: अंतरण के लिए अर्ह है और इस विकल्प का प्रयोग कर रहा है, निर्धारित समयावधि के भीतर ओ टी ई एफ नहीं जमा कर पाता है अथवा अनुमति मंजूरी करार पर हस्ताक्षर नहीं कर पाता है तो चरण 2 में इसका स्वत: अंतरण निरस्त हो जाएगा और यह चरण 1 नीति अवधि के अंतर्गत अपने मूल लाइसेंस के समय-समय पर यथा संशोधित निबंधनों और शर्तों से शासित होगा।

8. चरण 1 के किसी भी प्रचालनीकृत लाइसेंसधारक द्वारा स्वत: अंतरण के विकल्प का चयन करने से मना करने पर यह चरण 1 नीति अवधि के अंतर्गत अपने मूल लाइसेंस के समय-समय पर यथासंशोधित निबंधनों और शर्तों से शासित होना जारी रखेगा।

9. अपने रेडियो केंद्र को बंद करने के विकल्प का चयन करने के मामले में चरण 1 का कोई भी प्रचालनीकृत लाइसेंसधारक एक माह की न्यूनतम अवधि सहित समाप्ति नोटिस देगा जिसकी अवधि समाप्त होने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसके लाइसेंस को रद्द करेगा और केंद्र बंद करने की अनुमति देगा और इस प्रकार खाली हुई आवृत्ति को चरण 2 के अंतर्गत अगले सर्वोच्च बोलीकर्ता को आबंटित कर दिया जाएगा।

चरण 1 नीति अवधि में परिवर्तन

1. चरण 1 में सामने आए मुकदमों और चरण 2 में भाग लेने के लिए अधिकाधिक बोलीकर्ताओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चरण 1 के ऐसे चूककर्ता प्रतिभागियों के आशय पत्र/लाइसेंस करार रद्द करने का निर्णय लिया है जोकि अपने चैनलों को प्रचालनीकृत करने में असफल रहे जबकि उन्हें चरण 1 नीति अवधि में कुछ छूटें दी गई थीं।

2. **आशय पत्र रद्द करना :** ऐसे आशयपत्र धारकों, जो अपेक्षित बैंक गारंटियां प्रस्तुत करने तथा लाइसेंस करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए अर्हता की अन्य शर्तों को पूरा करने में असफल रहे, के

मामले में सरकार ऐसे संबंधित न्यायालयों, जहां ये मामले लंबित हैं, की अनुमति से उपयुक्त नोटिस देने के पश्चात उनके आशयपत्रों को रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ करेगी।

3. **अप्रचालनीकृत चैनलों का लाइसेंस करार रद्द करना :** ऐसे लाइसेंस करार धारकों, जोकि निर्धारित समय में अपने चैनलों को प्रचालनीकृत करने में असफल रहे, के मामले में सरकार ऐसे संबंधित न्यायालयों, जहां ये मामले लंबित हैं, की अनुमति से उपयुक्त नोटिस देने के पश्चात उनके लाइसेंस करार रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ करेगी।

4. **किसी भी पक्षकार के विधिक दृष्टिकोण के प्रति पूर्वाग्रह के बिना :** आशय पत्रों/लाइसेंस करारों को रद्द करने के कार्य विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों और मध्यस्थता कार्यवाहियों के संबंध में किसी भी पक्षकार के विधिक दृष्टिकोण के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा। इसी प्रकार, एतद्द्वारा यह भी आश्वासन दिया जाता है कि नीचे पैराग्राफ 5 से 9 तक में गणना की गई छूटों और आशयपत्र/लाइसेंस करार धारकों द्वारा विकल्पों के प्रयोग की स्वीकृति भी न्यायालय, जिसका निर्णय सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा, के समक्ष उनके अपने दृष्टिकोण के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगी।

5. **"ब्लैक लिस्टिंग" को सीमित मात्रा में हटाना :** चरण 2 के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के सीमित प्रयोजन के वास्ते सरकार ने चरण 1 के चूककर्ता आशयपत्र/लाइसेंस धारकों के लिए "ब्लैक लिस्टिंग" की शर्त में छूट देने का निर्णय किया है बशर्ते कि वे ऐसा करने के विकल्प का चयन करें और चरण 2 के निर्धारित अर्हता मानदंड के अनुसार अर्ह हों। किसी भी प्रतिभागी द्वारा इस विकल्प का प्रयोग करने से मना करने और सक्षम न्यायालय के समक्ष मुकदमे में हार की स्थिति में ब्लैक लिस्टिंग की शर्त लागू रहेगी।

6. **तीन मेट्रो शहरों में प्रचालनीकरण में विलंब में माफी :** दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता, जहां सरकार का आग्रह सह-अवस्थिति का था, वहां सरकार ने चैनलों के प्रचालनीकरण के लिए समय-सीमा दिसम्बर, 2001 से बढ़ाकर अगस्त, 2002 कर दी है। तथापि, इन तीनों मेट्रो शहरों में सह-अवस्थिति संबंधी कार्य बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति अर्थात अगस्त, 2002 तक भी नहीं किया जा सका। अंतत: जुलाई, 2002 में सरकार ने हस्तक्षेप किया और दिल्ली, चेन्नई तथा कोलकाता में सह-अवस्थिति सुविधाएं तथा साझी प्रसारण अवसंरचना उपलब्ध करवाने के लिए बेसिल को प्रणाली समाकलक के रूप में नियुक्त किया। बेसिल द्वारा साझी अवसंरचना की स्थापना करने के साथ ही 9 चैनल नौ महीने की अवधि के भीतर, अर्थात मई, 2003 के अंत तक, ही प्रचालन के अंतर्गत आ गए। चूंकि प्रचालनीकरण में

विलंब वास्तविक कारणों से हुआ था इसलिए सरकार ने तीन मेट्रो शहरों दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में नौ चैनलों के मामले में प्रचालनीकरण में हुए विलंब को माफ करने और वास्तविक प्रचालनीकरण की तारीखों को वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए देय तारीखें मानने का निर्णय लिया है।

7. **बेसिल मुंबई में सह-अवस्थिति सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा :** सरकार ने मुंबई में सह-अवस्थिति संबंधी अपनी नीति की दिसम्बर, 2001 में समीक्षा की और सह-अवस्थिति प्राप्त करने के लिए दो वर्ष की अवधि देने का निर्णय लिया। अंतरिम अवधि में एक पूर्व शर्त के रूप में सह-अवस्थिति पर जोर नहीं दिया गया और सरकार ने लाइसेंसधारकों को चार महीने की रियायत अवधि के भीतर अपने केंद्र अलग से स्थापित करने की अनुमति दे दी। चूंकि केंद्र सह-अवस्थिति के बिना मूल रियायत अवधि में पहले ही प्रचालनीकृत किए जा चुके थे इसलिए सरकार ने निर्धारित दो वर्ष की समय-सीमा की समाप्ति के पश्चात सह-अवस्थिति पर जोर न देने का निर्णय लिया। तथापि, सरकार ने भूमि और टावर तथा साथ ही साझी प्रसारण अवसंरचना उपलब्ध करवाने के लिए बेसिल को प्रणाली समाकलक के रूप में नियुक्त किया है ताकि चरण 2 के आवेदकों के साथ-साथ चरण 1 के प्रचालकों के लिए सह-अवस्थिति सुनिश्चित हो सके।

8. **अभ्यर्पण नोटिस अवधि घटाकर एक माह करना :** चरण 1 के अनिच्छुक प्रतिभागियों द्वारा शीघ्रता के साथ उनके लाइसेंस वापस जमा करने और नोटिस अवधि के दौरान लाइसेंस शुल्क के भुगतान का दायित्व कम करने में सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने एक वर्ष की नोटिस अवधि को घटाकर मात्र एक माह करने का निर्णय लिया है ताकि अपने चैनल बंद करने की इच्छा रखने वाले आसानी से उन्हें बंद कर सके।

अनुलग्नक-I

तकनीकी मानदंड

श्रेणी	आधार (निम्न में से एक या अधिक)	प्रभावी विकिरित ऊर्जा (ई आर पी) (किलोवाट)		एंटिना की ऊंचाई मीटर	
ए+	मेट्रो शहर	25	50		
	दिल्ली,			75	200
	मुंबई, कोलकाता, चेन्नई			75	175
ए	20 लाख से अधिक जनसंख्या	10	30	75	150
बी	10 लाख से अधिक और 20 लाख तक जनसंख्या	5	15	50	100
सी	3 लाख से अधिक और 10 लाख तक जनसंख्या	3	10	30	75
डी	1 लाख से अधिक और 3 लाख तक जनसंख्या	1	3	20	40

अनुलग्नक-II

<u>निजी एफएम रेडियो प्रसारण के चरण 2 के लिए बोली के वास्ते प्रस्तुत किए जाने वाले एफएम चैनल</u>

क. ऐसे शहरों में एफएम चैनल जहां साझी संरचना सरकार द्वारा तैयार की जाएगी।

क्र.सं.	शहर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बोली लगाने के लिए उपलब्ध चैनलों की संख्या
श्रेणी – क+			
1	चेन्नई	तमिलनाडु	6
2	दिल्ली	दिल्ली	6
3	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	5
4	मुंबई	महाराष्ट्र	5
श्रेणी – क			
5	बंगलौर	कर्नाटक	7
6	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	7
7	जयपुर	राजस्थान	5
8	पुणे	महाराष्ट्र	3
9	सूरत	गुजरात	4
कुल			**48**
ख. ऐसे शहरों में एफएम चैनल जहां प्रसारणकर्ता प्रसार भारती टावरों पर साझी अवसरंचना का प्रयोग करेंगे।			
श्रेणी – क			
10	अहमदाबाद	गुजरात	5
11	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	2
12	नागपुर	महाराष्ट्र	6
13	कानपुर	उत्तर प्रदेश	3
श्रेणी – ख			
14	आगरा	उत्तर प्रदेश	3
15	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	4

क्र.सं.	शहर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बोली लगाने के लिए उपलब्ध चैनलों की संख्या
16	अमृतसर	पंजाब	4
17	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	2
18	भोपाल	मध्य प्रदेश	4
19	कोचीन	केरल	3
20	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	3
21	इंदौर	मध्य प्रदेश	3
22	जबलपुर	मध्य प्रदेश	4
23	जमशेदपुर	झारखंड	4
24	पटना	बिहार	4
25	राजकोट	गुजरात	3
26	वड़ोदरा	गुजरात	4
27	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	4
28	विजयवाड़ा	आन्ध्र प्रदेश	2
29	विशाखापत्तनम	आन्ध्र प्रदेश	3
30	मदुरै	तमिलनाडु	3
श्रेणी-ग			
31	अहमदनगर	महाराष्ट्र	3
32	अजमेर	राजस्थान	4
33	अकोला	महाराष्ट्र	4
34	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	2
35	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	3
36	बरेली	उत्तर प्रदेश	4
37	भुवनेश्वर/कटक	उड़ीसा	4
38	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	4
39	धुले	महाराष्ट्र	2
40	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	4

क्र.सं.	शहर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बोली लगाने के लिए उपलब्ध चैनलों की संख्या
41	गुलबर्गा	कर्नाटक	4
42	गुवाहाटी	असम	4
43	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	4
44	जांलधर	पंजाब	4
45	जलगांव	महाराष्ट्र	4
46	जम्मू	जम्मू व कश्मीर	4
47	झांसी	उत्तर प्रदेश	4
48	जोधपुर	राजस्थान	4
49	कण्णूर	केरल	4
50	कोल्हापुर	महाराष्ट्र	2
51	मंगलौर	कर्नाटक	4
52	मुजफ्फरपुर	बिहार	4
53	मैसूर	कर्नाटक	4
54	नांदेड़	महाराष्ट्र	4
55	नासिक	महाराष्ट्र	2
56	पटियाला	पंजाब	4
57	पांडिचेरी	पांडिचेरी	3
58	रायपुर	छत्तीसगढ़	4
59	राजामुंदरी	आंध्र प्रदेश	4
60	रांची	झारखंड	4
61	सागर	मध्य प्रदेश	4
62	शोलापुर	महाराष्ट्र	3
63	सिलीगुड़ी	पश्चिम बंगाल	4
64	श्रीनगर	जम्मू व कश्मीर	4
65	तिरूचि	तमिलनाडु	4
66	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु	3
67	तिरूपति	आंध्र प्रदेश	2
68	तिरुवन्तपुरम	केरल	4

क्र.सं.	शहर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बोली लगाने के लिए उपलब्ध चैनलों की संख्या
69	वारंगल	आंध्र प्रदेश	4
70	बीकानेर	राजस्थान	4
71	कोटा	राजस्थान	4
72	कोझिकोड	केरल	2
73	राउरकेला	उड़ीसा	4
74	सांगली	महाराष्ट्र	2
75	त्रिसूर	केरल	4
76	तूतीकोरिन	तमिलनाडु	4
77	उदयपुर	राजस्थान	4
श्रेणी-घ			4
78	अगरतला	त्रिपुरा	4
79	ऐजवाल	मिजोरम	4
80	गंगटोक	सिक्किम	4
81	हिसार	हरियाणा	4
82	इम्फाल	मणिपुर	4
83	इटानगर	अरूणाचल	4
84	कोहिमा	नागालैंड	4
85	पणजी	गोवा	3
86	शिलांग	मेघालय	4
87	शिमला	हिमाचल प्रदेश	4
88	दमन	दमन और दीव	2
89	करनाल	हरियाणा	2
90	पोर्ट ब्लेयर	अंडमान और निकोबार	4
कुल			**288**
कुल जोड़			**336**